संख्या-21/2021/I/75500/38-4-2021

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2021**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-453/सम्प्रेक्षा/मु0मं0आ0यो0(अनु0-81)/2021-22, दिनांक 07.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में सम्मिलित अनुसूचित जनजाति के सहरिया वर्ग के 2926 एवं थारू वर्ग के 1563 कुल 4489 पात्र लाभार्थियों हेतु कुल लागत रूपये 5386.80 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की अवमुक्ति एवं उपभोग कर लिये जाने के पश्चात अवशेष द्वितीय एवं तृतीय किश्त की कुल धनराशि रूपये 3591.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक से योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 में अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः आपके उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत गत वर्ष की पात्रता श्रेणी में सम्मिलित अनुसूचित जनजाति के सहरिया वर्ग के 2926 एवं थारू वर्ग के 1563 कुल 4489 पात्र लाभार्थियों हेतु द्वितीय किश्त की अपेक्षित धनराशि रूपये 3142.30 लाख **(रूपये इकतीस करोड़ बयालीस लाख तीस हजार मात्र)** वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-81 से आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) पात्र लाभार्थियों की संख्या, आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/योजना के दिशा-निर्देशों/गाईडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में निर्धारित गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का उत्तरदायित्व होगा।

(7) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(9) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(11) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(12) योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि स्टेट नोडल बैंक एकाउन्ट से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अन्तरित की जायेगी।

(13) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य, विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-6/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018, शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध)/2017, दिनांक 04.02.2019, शासनादेश संख्या-17/2019/248/38-4-19-123(विविध)/2017 टीसी-1, दिनांक 28.06.2019 एवं शासनादेश संख्या-09/2021/150/38-4-21-123(विविध)/2017 टीसी-1, दिनांक 18.03.2021 में विहित प्राविधानों के अधीन योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण में व्यय की जायेगी।

(16) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 के अधीन लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-02-मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-24-वृहत् निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के कम्प्यूटर संख्या-1379233, दिनांक-24.06.2021 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव।

संख्या-21/2021/I/75500, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(4) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(5) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/3
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(10) बजट प्रकोष्ठ अनुभाग समाज कल्याण विभाग।
(11) श्री विजय बहादुर वर्मा, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।